UPMT010052412026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)
{J.O.Code No. UP6191}
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2385/2026
ताहिर बनाम उ.प्र.राज्य

आदेश

1. अभियुक्त **ताहिर पुत्र इसराइल** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–227/2026, धारा–191(2), 191(3), 190, 115(2), 126(2), 352, 351(3), 92 भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस), थाना कोसीकलां, ज़िला मथुरा में जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 10.04.2026 को सायं लगभग 07:30 बजे मुजाहिद उर्फ साजिद पुत्र अब्दुल वहाब निवासी ग्राम नगला अलीपुर भाग ग्राम खरोट, थाना कोसीकलां, जिला मथुरा अपने 4 वर्षीय पुत्र अरहम को मोटरसाइकिल से गाँव खरोट से नगला अलीपुर ला रहा था। हक्कू के मकान के पास पहुँचने पर मुबारिक पुत्र जमील, ताहिर पुत्र इसराइल, रफीक पुत्र दीनू, लियाकत पुत्र अकबर, साहून व जुबैर पुत्रगण मुवीन, अलाउद्दीन पुत्र अख्तर तथा चार अज्ञात व्यक्तियों ने एक राय होकर लाठी–डण्डों, लोहे की सरिया व फावड़ों से लैस होकर उसे घेर लिया, रास्ता रोककर गाली–गलौज की तथा लाठी–डण्डों, लात–थप्पड़ों व घूंसों से मारपीट की। शोर सुनकर सत्तार पुत्र अब्दुल वहाब, श्रीमती सुमईयाँ पत्नी आकिल तथा गाँव के अन्य लोग बचाने आए तो उक्त सभी व्यक्तियों ने उनके साथ भी लात–थप्पड़ों, घूंसों, लाठी–डण्डों, लोहे की सरिया व फावड़ों से मारपीट की, जिससे 4 वर्षीय अरहम, सत्तार, श्रीमती सुमईयाँ एवं मुजाहिद उर्फ साजिद के सिर व शरीर में गंभीर चोटें आयीं। प्रार्थी ने मुबारिक, ताहिर, रफीक, लियाकत, साहून, जुबैर, अलाउद्दीन तथा चार अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना की है।
3. उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त ताहिर व अन्य के विरूद्ध अभियोग अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 115(2), 126(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस) थाना कोसीकलां, जिला मथुरा पर पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना धारा 92 भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस) की बढोत्तरी की गई।
4. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र समर्थित शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथित घटना कारित करने का अभियुक्त/आवेदक को कोई मोटिव नहीं है। वादी मुकदमा सत्तार ने अभियुक्त रफीक के भाई जुनैद के साथ अपने अन्य साथी फारूक, सब्बू, मुबारिक, कयूम, रसीद, असरू, बली मौहम्मद, फकरू, अजरू, आदिल, तालिम, सम्मी, सिराजुउद्दीन व रिजवान के साथ मिलकर दिनांक 07.01.2026 को अभियुक्त रफीक के भाई जुनैद, चाची रूकसीना तथा चाचा के लड़के अरबाज व सरूप के साथ बुरी तरह मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुँचायी थीं, जिसकी रिपोर्ट अभियुक्त रफीक के चाचा जान मौहम्मद ने थाना कोसीकलां पर अ०सं० 09/2026 धारा 190,191(2),

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.07.01 10:24:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

191(3), 115(2), 125, 351(2) बी०एन०एस० के तहत दर्ज करायी थी तथा चोटों के आधार पर धारा 109(1) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गई थी। अभियुक्त/आवेदक रफीक के परिवार का सदस्य होने तथा अन्य अभियुक्तगण रफीक के परिवारीजन एवं शुभचिन्तक होने के कारण उक्त मुकदमे से बचने व दबाव बनाने हेतु झूठी कहानी बनाकर तथा फर्जी मेडिकल बनवाकर पुलिस से मिलकर उसे झूठा फँसाया गया है। कथित घटना दिनांक 10.04.2026 को समय 07:30 बजे शाम की बतायी जाती है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.04.2026 को समय 02:00 बजे काफी विलम्ब से दर्ज करायी गई है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कथित चोटैल सुमईया की एम०एल०पी०सी० रिपोर्ट दिनांक 13.04.2026 की दर्शायी गई है जबकि घटना 10.04.2026 की बतायी जाती है तथा एम०एल०पी०सी० रिपोर्ट के अनुसार गर्भपात (मिसकेरेज) का कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 92 बी०एन०एस० का कोई अपराध नहीं बनता तथा वादी उच्च राजनैतिक लोगों के संरक्षण में रहने के कारण राजनैतिक दबाव बनाकर पुलिस से धारा 92 बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी गलत प्रकार से करायी गई है। वह दिनांक 16.06.2026 से न्यायिक हिरासत में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है, कथित घटना का कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है तथा वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा एवं विचारण में सहयोग करेगा। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

6. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न सी.डी. का अवलोकन किया गया।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुजाहिद उर्फ साजिद अपने चार वर्षीय पुत्र अरहम को मोटरसाइकिल से गाँव खरोट से नगला अलीपुर ला रहा था। आरोप है कि रास्ते में नामजद अभियुक्तगण एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने एक राय होकर उसे घेर लिया, रास्ता रोककर गाली–गलौज की तथा लाठी–डण्डों, लोहे की सरिया एवं फावड़ों से मारपीट की। शोर सुनकर बचाने आए सत्तार, श्रीमती सुमईयाँ एवं अन्य व्यक्तियों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे उन्हें चोटें आईं।

8. सभी घायलों का चिकित्सीय परीक्षण सी.एच.सी. कोसीकलां में हुआ था। चिकित्सीय प्रपत्रों से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि चुटैलों को कारित अधिकांश चोटें साधारण प्रकृति की हैं। घटना के उपरान्त कराए गए अल्ट्रासाउण्ड में पीड़िता के गर्भ में पल रहा शिशु जीवित और सामान्य हृदय गति के साथ पाया गया था। विवेचक द्वारा चिकित्सक डॉ. गिरेन्द्र पाल से पीड़िता के भ्रूण के गर्भपात के संबंध में जानकारी करने पर चिकित्सक द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के दौरान महिला स्टाफ से चैक कराया गया तो पीड़िता के गर्भ से ब्लीडिंग हो रही थी। संभवतः गर्भपात चोट के कारण नहीं हुआ है क्योंकि दिनांक 13.04.2026 तक पीड़िता का भ्रूण जीवित था। डॉ. शिखा प्रोफेसर/हैड ऑफ डिपार्टमेंन्ट प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, ने विवेचक को दिये अपने बयान में कथन किया है कि भ्रूण की मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें आनुवांशिक कारण भी होते हैं। विवेचक के प्रश्न किये जाने पर कि क्या भ्रूण की मृत्यु झगड़े में आयी चोटों के कारण भी हो सकता है, के उत्तर में साक्षी ने इस संबंध में कोई भी मत देने से इंकार किया कि भ्रूण की मृत्यु का सही कारण क्या है। अभियुक्त दिनांक 04.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास हो अथवा आवेदक/अभियुक्त पूर्व दोषसिद्ध हो, ऐसा

कोई तर्क अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **ताहिर पुत्र इसराइल** द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाए–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

9. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल **districtjailmathura@gmail.com** पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–30.06.2026

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191